

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1154 / 2023


दिनांक : 18.04.2023

श्री अरूण गोदारा (RJ0587), विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर-1 को दिनांक 18.04.2023 से 17.06.2023 तक 61 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 18.06.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री गोदारा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), जयपुर महानगर-1 इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करे रहे हैं।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर-1 के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



18.04.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/43/2008/2534

दिनांक : 18.04.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-1 को उनके पत्रांक 1547 दिनांक 10.04.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अरूण गोदारा (RJ0587), विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर-1
4. विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर-1
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), जयपुर महानगर-1


18.4.2023
सहायक रजिस्ट्रार